



# नेपाल राजपत्र

## भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड २७] काठमाडौं, असार २० गते २०३४ साल [संख्या १२

श्री ५ को सरकार

अर्थ मन्त्रालयको

सूचना

स्टाण्डर्ड नाप र तौल (तेस्रो संशोधन) नियमहरू, २०३४

स्टाण्डर्ड नाप र तौल नियमहरू, २०२७ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरूको नाम “स्टाण्डर्ड नाप र तौल (तेस्रो संशोधन) नियमहरू, २०३४ ” रहेको छ ।

(२) यी नियमहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।

२. स्टाण्डर्ड नाप र तौल नियमहरू, २०२७ को अनुसूची ४ मा संशोधन: स्टान्डर्ड नाप र तौल नियमहरू, २०२७ (यसपछि “मूल नियमावली” भनिएको) को अनुसूची ४ को तालिका नं. १ को सट्टा तेहाको तालिका नं. १ राखिएको छ ।

तालिका नं. १

(२)

नेपाल राजपत्र भाग ५६

| संज्ञा    | क            | ख      | ग      | घ      | ङ       | च      | छ       | ज      | झ      | ञ         | ट         | ठ         | ड         | ढ         | ण         |
|-----------|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| १०० ग्राम | २०।१३।       | ८५।    | ६८।    | २२।१   | ४५।२२।१ | २५।४।५ | ३५।११।३ | ५।११।३ | ५।२५।४ | ५।१५।१५।४ | ५।१५।१५।४ | ५।१५।१५।४ | ५।१५।१५।४ | ५।१५।१५।४ | ५।१५।१५।४ |
| १०० ग्राम | २५।१६।१३।५।  | १२।११। | ११।११। | ११।११। | ११।११।  | ११।११। | ११।११।  | ११।११। | ११।११। | ११।११।    | ११।११।    | ११।११।    | ११।११।    | ११।११।    | ११।११।    |
| १०० ग्राम | ३४।२२।१३।५।  | १२।११। | ११।११। | ११।११। | ११।११।  | ११।११। | ११।११।  | ११।११। | ११।११। | ११।११।    | ११।११।    | ११।११।    | ११।११।    | ११।११।    | ११।११।    |
| कि. ग्रा. | ४३।२७।१७।५।  | १६।११। | १५।११। | १५।११। | १५।११।  | १५।११। | १५।११।  | १५।११। | १५।११। | १५।११।    | १५।११।    | १५।११।    | १५।११।    | १५।११।    | १५।११।    |
| कि. ग्रा. | ५४।३६।२६।२४। | २४।२४। | २४।२४। | २४।२४। | २४।२४।  | २४।२४। | २४।२४।  | २४।२४। | २४।२४। | २४।२४।    | २४।२४।    | २४।२४।    | २४।२४।    | २४।२४।    | २४।२४।    |
| कि. ग्रा. | ७२।४६।२६।२४। | २४।२४। | २४।२४। | २४।२४। | २४।२४।  | २४।२४। | २४।२४।  | २४।२४। | २४।२४। | २४।२४।    | २४।२४।    | २४।२४।    | २४।२४।    | २४।२४।    | २४।२४।    |

सबै आयाम मिलिमिटरमा आयामको घटी बढीको हद पाँच प्रतिशत ।

मूल नियमावलीको अनुसूची ६ मा संशोधन : मूल नियमावलीको अनुसूची ६ को सट्टा यसैसाथ संलग्न अनुसूची ६ राखिएको छ ।

आधिकारिकता मद्रुण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

अनुसूची-६  
(नियम १४ को उप-नियम (१) र (२) संग सम्बन्धित)  
जाँच तथा टाँचाको शुल्क

| संज्ञा                                 |                                   |    | दर प्रतिथान । |     |
|----------------------------------------|-----------------------------------|----|---------------|-----|
|                                        |                                   |    | रु.           | पै. |
| बुलियन                                 | १ मिलिग्रामदेखि ५० ग्रामसम्म      | १  | ००            |     |
|                                        | १०० ग्रामदेखि ५०० ग्रामसम्म       | २  | ५०            |     |
|                                        | १ किलोदेखि ५ किलोसम्म             | ४  | ००            |     |
|                                        | १० किलोदेखि २० किलोसम्म           | ८  | ००            |     |
| क्यारेट                                | ०.५/१०० क्यारेटदेखि २ क्यारेटसम्म | २  | ००            |     |
|                                        | ५ क्यारेटदेखि ५०० क्यारेटसम्म     | ३  | ००            |     |
| तौलहरू व्यापारिक                       | १ मिलिग्रामदेखि ५० मिलिग्रामसम्म  | —  | ५०            |     |
|                                        | १०० मिलिग्रामदेखि ५० ग्रामसम्म    | १  | ००            |     |
|                                        | १०० ग्रामदेखि ५०० ग्रामसम्म       | १  | ५०            |     |
|                                        | १ किलोदेखि २ किलोसम्म             | २  | ००            |     |
|                                        | ५ किलोदेखि २० किलोसम्म            | ३  | ००            |     |
|                                        | ५० किलो                           | ५  | ००            |     |
| ग्राहिता                               | १ मिलिलिटरदेखि २०० मिलिलिटरसम्म   | १  | ००            |     |
|                                        | ५०० मिलिलिटरदेखि २ लिटरसम्म       | २  | ००            |     |
|                                        | ५ लिटरदेखि १० लिटरसम्म            | ६  | ००            |     |
|                                        | २० लिटरदेखि १०० लिटरसम्म          | १० | ००            |     |
| नापहरू लम्बाई                          | ०.५ मिटरदेखि १ मिटरसम्म           | ३  | ००            |     |
|                                        | २ मिटरदेखि १० मिटरसम्म            | ५  | ००            |     |
|                                        | १० मिटर भन्दा माथिलाई             | १० | ००            |     |
| तौलनेयन्त्र दुई पल्ले श्रेणी "ग" र "घ" | ५०० ग्राम र मुनिको                | २  | ००            |     |
|                                        | ५०० ग्रामभन्दा माथि १० किलोसम्म   | ५  | ००            |     |
|                                        | १० किलोभन्दा माथि २० किलोसम्म     | ८  | ००            |     |
|                                        | २० किलोभन्दा माथि ५० किलोसम्म     | १० | ००            |     |
|                                        | ५० किलोभन्दा माथि २५० किलोसम्म    | १५ | ००            |     |
|                                        | २५० किलोभन्दा माथि १००० किलोसम्म  | २५ | ००            |     |
|                                        | १००० किलोभन्दा माथिलाई            | ४० | ००            |     |

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

२८९

(४)

नेपाल राजपत्र भाग ३

|                                  |                                          |                              |     |    |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----|----|
| श्रेणी "ग" र<br>"घ" बाहेक<br>अरू | ५०० ग्राम र मुनिको                       | २                            | ००  |    |
|                                  | ५०० ग्राम भन्दा माथि १० किलोसम्म         | ५                            | ००  |    |
|                                  | १० किलो भन्दा माथि २० किलोसम्म           | १०                           | ००  |    |
|                                  | २० किलो भन्दा माथि ५० किलोसम्म           | १५                           | ००  |    |
|                                  | ५० किलो भन्दा माथि २५० किलोसम्म          | २०                           | ००  |    |
|                                  | २५० किलो भन्दा माथि १००० किलोसम्म        | ३०                           | ००  |    |
|                                  | १००० किलो भन्दा माथि ५००० किलोसम्म       | ४०                           | ००  |    |
|                                  | ५००० किलो भन्दा माथि १०००० किलोसम्म      | ७५                           | ००  |    |
|                                  | १०००० किलो भन्दा माथि २५००० किलो<br>सम्म | १००                          | ००  |    |
|                                  | २५००० किलो भन्दा माथि ५०००० किलो<br>सम्म | १५०                          | ००  |    |
|                                  | ५०००० किलो भन्दा माथिलाई                 | २००                          | ००  |    |
| नाप्ने यन्त्र                    | आयतन                                     | पेट्रोलियम पदार्थ वितरण पम्प | १०० | ०० |
|                                  | लम्बाइ र<br>समय                          | ट्याक्सी                     | १०  | ०० |

आज्ञाले-

नरकान्त अधिकारी

श्री ५ को सरकारको सचिव

आधिकारिकता २५२ विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।